इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 230]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 16 अप्रैल 2018—चैत्र 26, शक 1940

राजस्व विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 अप्रैल 2018

एफ-1-5-2010-सात-4 ए.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश जूनियर प्रशासकीय सेवा (भर्ती तथा सेवा की सेवा शर्तें) नियम, 2011 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में, अनुसूची पांच में, मद 4-परीक्षा में, खण्ड (2) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

- ''(2) प्रमुख राजस्व आयुक्त, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग या प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड (पीईबी) अथवा एमपी आनलॉइन के माध्यम से परीक्षा आयोजित करेगा.''.
- F. 1-1-2010-7-4 A.—In exercise of the powers conferred by the proviso to the Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendment in the Madhya Pradesh Junior Administrative Service (Recruitment and Service Conditions of Service) Rules, 2011, namely:—

AMENDMENT

In the said rules, in Schedule-V, in term 4-Examination, for clasue (2), the following clause shall be substituted, namely:—

"(2) Principal revenue commissioner shall oraganise examination through Madhya Pradesh Public Service Commission or Professional Examination Board (PEB) or MP Online.".

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

मनीष रस्तोगी, प्रमुख सचिव.